उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–63 /9–1–15–678सा / 14
लखनऊ: 07 जनवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा–30–क के साथ पठित धारा–124 और 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।
(2.) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता नियमावली, 2004,जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द ''सभासद'', शीर्षक एवं पार्श्व शीर्षक सहित जहाँ भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''पार्षद'' रख दिया जायेगा।

नियम–2का संशोधन

3– उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
2– उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के सभासद सदन की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिमाह प्रति सभासद 300 रूपये (तीन सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगें जिसका वहन निगम के स्रोतों से किया जायेगा।	2– उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के पार्षद नगर निगमों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिमाह प्रति पार्षद 1500 रूपये (एक हजार पॉच सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगें,जिसका वहन निगम के स्रोतों से किया जायेगा।

आज्ञा से,
/
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 07 जनवरी, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 150 प्रतियां (हिन्दी एवं अंग्रेजी) शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक स्थानीय निकाय/पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति विभागीय साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।